पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उप./ अप्रा.
एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश
दिनांक 18/10/19 को पेश हो।

पत्रावली आदेशार्थ पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया अतः प्रार्थीगण का आवेदन-पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
मुख्यालय सीकर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी– राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र / 50 / 2018

1. बनारसी देवी उम्र 30 वर्ष पुत्री नोपाराम
2. पैपू देवी उम्र 42 वर्ष पुत्री नोपाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर

–प्रार्थीयागण

बनाम

1. नोपाराम उम्र 71 वर्ष पुत्र बक्साराम
2. रामेश्वरलाल उम्र 46 वर्ष पुत्र नोपाराम
3. बद्रीप्रसाद उम्र 44 वर्ष पुत्र नोपाराम
4. प्रहलाद उम्र 40 वर्ष पुत्र नोपाराम
5. पूर्णमल उम्र 38 वर्ष पुत्र नोपाराम
6. हरदेवाराम उम्र 34 वर्ष पुत्र नोपाराम
7. गोविन्द उम्र 36 वर्ष पुत्र नोपाराम
8. रामनिवास उम्र 32 वर्ष पुत्र नोपाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
9. सोनी देवी पुत्री नोपाराम पत्नी रिछपाल राम जाति जाट निवासी ग्राम नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर हाल निवास वार्ड सं. 1 चौखा का बास, लोसल, तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर (राज.)
10. पटवारी, पटवार हल्का, नेतड़वास तहसील धोद जिला सीकर
11. उपपंजीयक, धोद तहसील धोद जिला सीकर
12. तहसीलदार, धोद, तहसील धोद जिला सीकर
13. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, शाखा कासली तहसील धोद जिला सीकर

–अप्रार्थीगण

<u>आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

सत्यमेव जयते

उपस्थिति–
01. श्री विजय कुमार शर्मा, वकील प्रार्थीयागण की ओर से

Web Copy - Not Official

:आदेश:

दिनांक– 18.10.2019

01. वकील प्रार्थीयागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि उपरोक्त उनवानी वाद आज विधिवत रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष बहुत ही ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दिया गया है, जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूर्ण आशा है। प्रार्थीयागण व अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 09 की सयुक्त कब्जे काश्त को पैत्रिक एवं सहदायिकी कृषि भूमियां खसरा नम्बर 162 रकबा 5.29

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

हैक्टेयर, खसरा संख्या 166 रकबा 7.28 हैक्टेयर बारानी प्रथम कुल किता 2 कुल रकबा 12.57 हैक्टेयर वाकै ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर (राजस्थान) में अवस्थित है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण एक ही खानदान के हैं, जिनकी वंशावली निम्न प्रकार से हैः–

नोपाराम पुत्र बक्सा

रामेश्वरलाल बद्रीप्रसाद प्रहलाद पूर्णमल गोविन्द हरदेवाराम रामनिवास सोनीदेवी पैपूदेवी बनारसी

वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियां प्रार्थीयागण के पड़दादा नानूराम के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की रही है, उनके स्वर्गवास के पश्चात बक्साराम को उक्त भूमि विरासत में प्राप्त हुई तथा बक्सा राम के स्वर्गवास के पश्चात बक्साराम के वारिसान उपर्युक्त कृषि भूमियों पर काबिज होकर काश्त करने लगे। इस प्रकार उपर्युक्त भूमियां प्रतिप्रार्थीयागण संख्या 01 को प्राप्त हुई। जिसमें प्रार्थीयागण का नोशनल हिस्से अनुसार 2/11 हक हिस्सा कानूनन बनता है। प्रार्थीयागण एवं अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 09 की वाद पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात पैत्रिक कृषि भूमियां है जिनमें प्रार्थीयागण का जन्म से ही पुत्र के समान नोशनल हिस्सा है चाहे सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीयागण के पिता के नाम से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज क्यों ना हो। प्रार्थीयागण एवं प्रतिप्रार्थीयागण संख्या 01 लगायत 09 एक ही सजरा खानदान के संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधान लागू होते हैं। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार संयुक्त हिन्दू परिवार की पैत्रिक सम्पति में पुत्रीयों को जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है इस प्रकार वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमियों में वादिया संख्या 01 का 1/11 एवं वादियां संख्या 02 का 1/11 हक हिस्सा कानूनन बनता है। जिस पर प्रार्थीयागण बहैसियत काबिज काश्तकार है। प्रार्थीयागण के हिस्सा की उपर्युक्त कृषि भूमियों को प्रार्थीयागण के पिता अप्रार्थी संख्या 01 को खुर्द बुर्द करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है ना ही उन्हें प्रार्थीयागण के कब्जा काश्त की भूमि को रहन, बय मुन्तकिल करने का कोई कानूनी अधिकार है। इसलिए वाद के पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजियात में वादिया संख्या 01 को 1/11 एवं वादिया संख्या 02 को 1/11 हक हिस्से की भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 09 ने आपस में दुरभि संधी कर रखी है तथा प्रार्थीयागण को उनके खातेदारी हक अधिकारों से वंचित करने के लिये एवं वादग्रस्त सम्पदा को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है। प्रार्थीयागण जब वादग्रस्त सम्पदा में अपने हक हिस्से की भूमि की खातेदारी दुरूस्त करवाने के लिये अप्रार्थी संख्या से कहा तो अप्रार्थी संख्या 01 ने प्रार्थीयागण का वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक हिस्सा होने से स्पष्ट इन्कार दिया अतः प्रार्थीगण को दावा बाबत उद्घोषणा करना आवश्यक हुआ है। विवादित आराजियात संयुक्त कब्जे काश्त की होने से प्रार्थीयागण व अप्रार्थीगण के मध्य विवादित आराजियात की काश्त को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है एवं इस प्रकार के वातावरण में प्रार्थीयागण का अपने हिस्सा की भूमि पर अप्रार्थीगण के साथ संयुक्त रूप से काश्त करना सम्भव नहीं है। इसलिए प्रार्थीयागण को हक हिस्से की 1/11–1/11 आराजी का विधिवत बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती की जावें इसलिए वाद वाद बाबत बंटवारा एवं दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। दिनांक 25.11.2018 को प्रार्थीयागण अपने हक हिस्से की आराजियात की सार सम्भाल करने गई तब अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 लगायत 06 अपने साथ कुछ अजनबी भूमाफिया गिरोह के चार–पांच व्यक्तियों

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद
जिला सीकर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Web Copy - Not Official
Scanned by CamScanner

को साथ लेकर आये और प्रार्थीयागण के हक हिस्से की कृषि आराजियात की तरफ ईशारा कर बातचीत कर रहे थे तब प्रार्थीयागण उनके पास जाकर ईशारा करने का प्रयोजन पूछा तो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 लगायत 06 आग बबूला हो गये और कहा कि तुम्हारा हमारी पैत्रिक सम्पति से कोई लेना देना नहीं है अप्रार्थी संख्या 01 ने कहा कि वादग्रस्त सम्पदा का राजस्व रिकार्ड मेरे अकेले के नाम से है जिसमें तुम्हारा कोई हक हिस्सा नहीं है इस सम्पदा को बेचने व उपभोग करने में मैं पूर्णतया स्वतन्त्र हूं। अप्रार्थी संख्या 01 के साथ मिलकर अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 06 अपनी उक्त कुचेष्ठा में कामयाब हो गये तो प्रार्थीयागण के विधिक एव साम्पतिक अधिकारों पर गम्भीर कुठाराघात होगा। जिसकी क्षतिपूर्ति बाद में कदापी सम्भव नहीं हो सकेगी। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को तादौरान दावा मय उनके नौकर, चाकर, परिजन, प्रतिनिधि अधिकारी, विशेषाधिकारी, सर्वाधिकारी के जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावे कि वाके ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर (राज.) में अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 162 रकबा 5.29 हैक्टेयर खसरा नम्बर 166 रकबा 7.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 12.5700 हैक्टेयर में प्रार्थीयागण को उनके हक हिस्से की कब्जा, काश्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं दखलअंदाजी नहीं करें, वादग्रस्त कृषि भूमि में गड्डे खोदने, पेड़ काटने, चक्का पक्का निर्माण करने से एवं प्रार्थीयागण को जबरन ताकत के बल पर बेदखल करने से प्रतिबन्धित रहे अप्रार्थी संख्या 01 वादग्रस्त कृषि भूमियों पर प्राप्त किये गयें ऋण को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 से प्राप्त कर प्रार्थीयागण के हिस्से की भूमि को ऋण मुक्त करावें एवं दीगर व्यक्तियों को विक्रय, रहन, दान, अन्तरण करने से बाज रहें।

02. आवेदन पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 ता 13 पर बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर इनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

03. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीयागण ने अपने आवेदन के कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम दृष्ठया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीयागण के पक्ष में होने के कारण उक्त टी.आई. आवेदन स्वीकार किया जावे।

04. प्रार्थी के वकील की बहस पर मनन किया तथा समग्र पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2070–73 के अनुसार वर्तमान में विवादित आराजियात के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 है, जो प्रार्थीयागण के जायन्दा पिता है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2028–2031 व मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त भूमि पूर्व में अप्रार्थी सं. 1 के पिता बक्सा के नाम पर दर्ज थी, जो बाद में जरिये विरासत/बंटवारा अप्रार्थी सं. 1 को प्राप्त हुई है। इससे स्पष्ट है कि विवादित कृषि भूमि प्रार्थीयागणों एवं अप्रार्थीगणों की पैतृक कृषि भूमि है। पैतृक कृषि भूमि में पुत्र व पुत्री दोनों को जन्मत् ही अधिकार प्राप्त हो जाते है। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि विवादित आराजियात के संबंध में प्रार्थीयागण का मामला प्रथम दृष्ट्या बनता है तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीयागण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी सं. 1 उक्त विवादित भूमि का बेचान/रहन करता है तो इससे प्रार्थीयागण को अपूरणीय क्षति भी कारित होगी, जिसकी भरपाई बाद में संभव नहीं हो सकेगी।

(मुहर: कार्यालय उपखण्ड अधिकारी ... सीकर (राज.))

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थीयागण का आवेदन–पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वह ताफैसला दावा कृषि भूमियां खसरा नम्बर 162 रकबा 5.29 हैक्टेयर खसरा नम्बर 166 रकबा 7.28 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 12.5700 हैक्टेय वाकै ग्राम नेतड़वास पटवार हल्का नेतड़वास भू अभिलेख निरीक्षण क्षेत्र धोद तहसील धोद जिला सीकर की रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनायें रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूल दावा के संलग्न हो।

यह निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner